राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प दीगोद
फाईनल डिक्री मुकदमा
(आ 20 रुल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा

उनवान

1. विमला उर्फ निर्मला पुत्री मंगला पत्नि रामेश्वर जाति कोली निवासी रलायता हाल नि0 बडोद तहसील दीगोद जिला कोटा
2. ममता उर्फ उर्मिला पुत्री मंगला पत्नि रामगोपाल जाति कोली निवासी रलायता हा0 नि0 महावीर कॉलोनी रंगपुर रोड कोटा — वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

—प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88—89 आर.टी.एक्ट

वाद कमांक— 9/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रुबरु मुझ दीपक मित्तल आर0ए0एस0 बहाजिरी श्री रामबाबू दाधीच एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि " वाद वादीगण प्रस्तुत दस्तावेजात/ जवाब सरकार के अनुसार स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रलायता तहसील दीगोद जिला कोटा में स्थित खाता सं0 55 की खसरा नं0 277 रकबा 0.39 है0, ख0नं0 293/392 रकबा 0.60 है0 कुल 2 किता की 0.99 है0 भूमि पर वादनी नं0 1 का नाम निर्मला के स्थान पर विमला पुत्री मंगला तथा वादनी नं0 2 का नाम उर्मिला के स्थान पर ममता पुत्री मंगला दर्ज किया जावे। तहसीलदार उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। तद्नुसार अंतिम डिक्री **राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद** में जारी की जाती है।

मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 12.03.2021 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा फरीकेन अप[illegible] वहन करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 16:37:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज.)

तालुका विधिक सेवा समिति दीगोद जिला कोटा (राज.)

अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति दीगोद कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner

19-3-22

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में पेश हुई वादीगण ने वाद विरूद्व प्रतिवादी इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम रलायता तहसील दीगोद जिला कोटा में स्थित खाता सं0 55 की खसरा नं0 277 रकबा 0.39 है0, ख0नं0 293/392 रकबा 0.60 है0 कुल 2 किताकी 0.99 है0 भूमि शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। उक्त आराजीयात में वादीगणों का नाम निर्मला बाई और उर्मिला बाइ दर्ज है। यह कि वादीगणों का नाम नामा0 दर्ज करते समय घर पर बोलते नाम निर्मला बाई और उर्मिला बाई के नाम से नामा0 दर्ज कर दिया गया है । जबकि वादीगणो का वास्तविक नाम निर्मला बाई का विमला और उर्मिला बाई का ममता है। वादीगणों का नाम आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी, अंकतालिका आदि में वादनी क्रम 1 का नाम विमला और वादनी क्रम 2 का नाम ममता है। गलत नाम दर्ज होने से सरकारी योजनाऔ का लाभ व भूमि सुधार के लिए किसान कार्ड लेने से वन्चित हो रही है। यह कि ग्राम रलायता की भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी क्रम 1 का नाम विमला के स्थान पर निर्मला बाई और वादनी क्रम 2 का ममता के स्थान पर उर्मिला बाई दर्ज कर दिया है। वादीगण ने अनपे साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी, अंकतालिका, शपथ पत्र सहखातेदार मोहनी बाई व बनवारी तथा ग्राम पंचायत कोडटादीपसिह का पत्र पेश किये गये। जवाब सरकार प्राप्त हुआ जो शा0 फाईल किया गया । प्रतिवादी द्वारा वादीगण का नाम दुरूस्त करने में कोई आपत्ति नही की गई।

अतः वाद वादीगण प्रस्तुत दस्तावेजात/ जवाब सरकार के अनुसार स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रलायता तहसील दीगोद जिला कोटा में स्थित खाता सं0 55 की खसरा नं0 277 रकबा 0.39 है0, ख0नं0 293/392 रकबा 0.60 है0 कुल 2 किता की 0.99 है0 भूमि पर वादनी नं0 1 का नाम निर्मला के स्थान पर विमला पुत्री मंगला तथा वादनी नं0 2 का नाम उर्मिला के स्थान पर ममता पुत्री मंगला दर्ज किया जावे। तथानुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 16:37:19 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार एवं विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद

Scanned by CamScanner